न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या:- 769/2025
जीसीएमएस नम्बर :-2025/01159

1. मांगू देवड़ा पुत्र श्री हजारी गाडरी आयु वयस्क
2. ऊंकार लाल गाडरी पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
3. प्यारचन्द पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
4. रामा उर्फ रामलाल पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
5. गोपी लाल पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
6. बाबू लाल पुत्र श्री भूरा गाडरी आयु वयस्क
7. भगवान लाल गोदपुत्र जोधा गाडरी आयु वयस्क

समस्त निवासी किशनावतो की खेडी, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

----वादीगण

-: बनाम :-

1- उदा उर्फ उदयराम पुत्र श्री जालम गाडरी आयु वयस्क
2- जेराम पुत्र श्री हजारी गाडरी आयु वयस्क
3- कालू लाल पुत्र श्री हीरा गाडरी आयु वयस्क
4- पेमा लाल पुत्र श्री हीरा गाडरी आयु वयस्क
5- देवा लाल पुत्र श्री लाला गाडरी आयु वयस्क
6- सरजू पत्नी श्री लाला गाडरी आयु वयस्क

समस्त निवासी- किशनावतों की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

7- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
8- उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

----प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92-क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री शोभागमल कुमावत अभिभाषक वादीगण
2. श्री राजू कुमावत अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

8/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-: निर्णय :- दिनांक 18/3/26

1. संक्षिप्त में प्रकरण के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि- वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 03.10.2025 को इस न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो रिपोर्ट उपरान्त दिनांक 24.10.2025 को वाद संख्या 769/2025 बउनवानी मांगू देवड़ा वगैरह बनाम उदा उर्फ उदयराम वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

2. वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि- वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 छह जो कि एक ही परिवार के होकर किशना पुत्र श्री नांदजी गाडरी के विधिक वारीसान है। जिनके परिवार का पारीवारिक सजरा परिशिष्ठ "अ" जो कि उक्त वादपत्र के साथ संलग्न है, जो वादपत्र का अभिन्न है।

सरहद हजारीखेडा पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 127 एक सौ सताईश रकबा 4.7925 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 02 के नाम पर दर्ज है।

वादपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात को वाद में आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

वादग्रस्त आराजियात जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त शामलाती आय से अर्जित सम्पदा है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण व इनके पूर्वजो द्वारा शामलाती आय से प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 02 के नाम पर क्रय की गयी है।

वादपत्र के साथ संलग्न पारीवारिक सजरे अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित आराजियात में वादी संख्या 01 एक का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त शामलाती तौर पर काबिज होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हक हिस्से अनुसार आमजन व

18/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पक्षकारों की जानकारी में निर्बाध रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व इनके पूर्वजों को भी वादीगण द्वारा कई बार उक्त भूमि हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि भूमि पर कब्जा तुम्हारा है, तुम मौके पर काबिज हो, जब भी तुम्हारे नाम पर कराने हेतु कहोगे तो तुम्हारे नाम पर करा देगे चूंकि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो द्वारा कभी भी वादीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नही किया गया, इस कारण से वादीगण जो कि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के विश्वास में रह गये व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज नही करवायी है।

जमीनों के भाव में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के मन मे फितुर है, जो कि वादीगण के नाम पर वादीगण का हक हिस्सा दर्ज नहीं करा वादीगण को टालमटोल कर रहे है व वादीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा करने लग गये व दिनाक 10 दस सितम्बर 2025 दो हजार पच्चीस को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मौके से बेदखल करने की कोशिश की गयी व साथ ही उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज होने से अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित आराजियात जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती पुश्तैनी आय से क्रयशुदा सम्पदा होकर पुश्तैनी सम्पदा है। जिससे प्रतिवादीगण को बेदखल करने व अन्य को विक्रय, हस्तांतरण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण से वादीगण को अपनी भूमि की रक्षार्थ हेतु उक्त वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यदि प्रतिवादीगण जो कि उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज होने की आड़ में वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादीगण के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी व वादीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगे। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

6/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात पर विगत करीब 60-70 वर्षों से अधिक समय से वादीगण व उनके पूर्वजों का निर्बाध रूप से पक्षकारों व आमजन की जानकारी में निरन्तर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादीगण एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर भी उक्त भूमि के स्वतः खातेदार हो चुके है। लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं है।

सरहद हजारीखेड़ा पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नम्बर 127 एक सौ सताईश रकबा 4.7925 हैक्टयर भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त शामलाती आय से अर्जित सम्पदा होकर वादी संख्या 01 एक का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी सख्या 02 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात का 1/8 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती करा अपना नाम व हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

विकल्प मे निवेदन है कि उक्त आराजियात पर 60-70 वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा होने से एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित कराया जाना व राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती करायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 10 दस सितम्बर 2025 दो हजार पच्चीस से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 07 सात एवं 08 राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा०दी० के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादीगण नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेगे तो इससे पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगा व वादीगण को बेदखल कर देगे तो वादीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत में बिना

8/3/26

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है तथा धारा 80(2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। वादपत्र वांछित न्याय शुल्क पर पेश है। वादग्रस्त आराजी सरहद हजारीखेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) की सीमाक्षेत्र में स्थित होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। वादपत्र नियमानुसार दो प्रतियो मे पेश है। वादपत्र की ताईद ने वादी का शपथपत्र पेश है। प्रतिवादीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेस नकल वादपत्र साथ मे पेश है।

अतः वादीगण सादर प्रार्थना करते है कि-

(अ) कि सरहद हजारीखेडा पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 127 एक सौ सताईश रकबा 4.7925 हैक्टयर भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती आय से अर्जित सम्पदा होकर वादी संख्या 01 एक का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा है, वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा अपना नाम व हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे व वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जायें।

विकल्प में निवेदन है कि वादीगण का विगत 60-70 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने से एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर भी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करा, वादीगण अपना नाम व हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जायें।

(ब) कि बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नहीं किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग

18/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

में किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

(स) कि हर्जा खर्चा मुकदमा मय महनताना वकील वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

(द) कि अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के पक्ष मे दिलाना उचित समझे दिलाया जावे।

3- न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2025 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये तलबाना किये जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 04.12.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से वकील श्री राजू कुमावत ने यु.टी. दी। दिनांक 08.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री राजू कुमावत अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।

4- दिनांक 06.02.2025 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 असालतन एवं वकालतन उपस्थित होकर न्यायालय आदेशिका पर अपनी उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर किये।

5- उभय पक्षकारान् को राजीनामा पर सुना गया।

6- वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विद्वान अभिभाषकगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजीज व मौतबिरान् की समझाईस से राजीनामा हो गया है। पक्षकारान् के मध्य मुतदाविया भूमि को लेकर अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

7- न्यायालय द्वारा राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री राजू कुमावत ने की। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी पहचान स्वरूप अपने-अपने आधार कार्ड की फोटो प्रतियां पेश की तथा असल आधार कार्ड न्यायालय को वास्ते अवलोकनार्थ दिखाये गये। प्रस्तुत राजीनामा पर वादीगण कुल 7 व प्रतिवादी संख्या कुल 6 अर्थात् कुल 13 पक्षकारान् के हस्ताक्षर पाये गये। इन्हीं पक्षकारान् ने आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानी की है।

8- उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जो पक्षकारान् द्वारा निम्नांनुसार निष्पादित किया गया है-

सरहद हजारीखेड़ा पटवार हल्का आटूण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नम्बर 127 एक सौ सताईश रकबा 4.7925 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के नाम पर दर्ज है।

18/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौतबीरान द्वारा आपस मे राजीनामा करा दिया है। उक्त आराजियात मे वादी संख्या 01 एक का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा व निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार पीढी दर पीढी काबिज है। उक्त आराजियात जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा शामलाती तौर पर क्रय की, जिस पर काबिज है।

वादग्रस्त आराजियात में वादी संख्या 01 एक का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा अनुसार भूमि दर्ज कर दी जाने पर प्रतिवादी सख्या 01 एवं 02 का कोई आपत्ति नहीं है एवं प्रतिवादी सख्या 03 लगायत 06 को भी कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा चाहते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा प्रार्थनापत्र तस्दीक फरमा सरहद हजारीखेड़ा पटवार हल्का आटूण भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 127 एक सौ सताईश रकबा 4.7925 हैक्टयर भूमि को वादी संख्या 01 एक का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/8 एक/आठ हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार का 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 का 1/8 हक हिस्सा अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

9- उपस्थित पक्षकारान् ने राजीनामा को पढ/पढाकर, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया और मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने की सहमति दी गई। ऐसी स्थिति में राजीनामा तस्दीक किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है।

18/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-: क्रियात्मक आदेश :-

10. मुताबिक राजीनामा दावा बाबत् बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम हजारीखेड़ा, पटवार हल्का आटूण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 4. 7925 हैक्टेयर में वादी संख्या 01 एक को 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 को 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात को 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 01 एक को 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो को 1/8 एक/आठ हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार को 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 को 1/8 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2069-2073 खाता संख्या नया 34 पुराना 158 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अकेले के नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर उपरोक्त वर्णितानुसार खातेदारी प्रविष्टियाँ दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को तद्नुसार राजस्व अभिलेखो में अमल किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को इस निर्णय व डिक्री का जूज पढा जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

18/3/26

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठसीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 769/2025
जीसीएमएस नम्बर :-2025/01159

1- मांगू देवड़ा पुत्र श्री हजारी गाडरी आयु वयस्क
2- ऊंकार लाल गाडरी पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
3- प्यारचन्द पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
4- रामा उर्फ रामलाल पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
5- गोपी लाल पुत्र श्री लोभा गाडरी आयु वयस्क
6- बाबू लाल पुत्र श्री भूरा गाडरी आयु वयस्क
7- भगवान लाल गोदपुत्र जोधा गाडरी आयु वयस्क
समस्त निवासी किशनावतो की खेडी, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

----**वादीगण**

-: बनाम :-

1- उदा उर्फ उदयराम पुत्र श्री जालम गाडरी आयु वयस्क
2- जेराम पुत्र श्री हजारी गाडरी आयु वयस्क
3- कालू लाल पुत्र श्री हीरा गाडरी आयु वयस्क
4- पेमा लाल पुत्र श्री हीरा गाडरी आयु वयस्क
5- देवा लाल पुत्र श्री लाला गाडरी आयु वयस्क
6- सरजू पत्नी श्री लाला गाडरी आयु वयस्क
समस्त निवासी- किशनावतों की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
7- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
8- उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

----**प्रतिवादीगण**

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 ,92-क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू --------------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

निर्णय में वर्णितानुसार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर मुताबिक राजीनामा दावा बाबत् बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम हजारीखेड़ा, पटवार हल्का आटूण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 4.7925 हैक्टेयर में वादी संख्या 01 एक को 1/8 एक/आठ हक हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 06 को 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 07 सात को 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 01 एक को 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो को 1/8 एक/आठ हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार को 1/8 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 06 को 1/8 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2069-2073 खाता संख्या नया 34 पुराना 158 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अकेले के नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर उपरोक्त वर्णितानुसार खातेदारी प्रविष्टियाँ दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को तद्नुसार राजस्व अभिलेखो में अमल किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को इस निर्णय व डिक्री का जूज पढा जावे।

निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

पक्षकारान् खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ----------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 18/3/26 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

18/3/26

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

मुहर

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा